

मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा

- ☞ शैक्षणिक योग्यता - एल एल०बी०
- ☞ आयु सीमा - 21 से 35 वर्ष
- ☞ (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट)



परीक्षा का पाठ्यक्रम

परीक्षा तीन चरणों में होगी-

1. ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा (बहुविकल्पीय) 150 अंक
2. मुख्य परीक्षा (व्यक्ति-निष्ठ) 400 अंक
3. साक्षात्कार 50 अंक

ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा (बहुविकल्पीय)

ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा की समय अवधि दो घण्टे होगी, जिसमें 150 अंकों के 150 बहुविकल्पीय प्रश्न, निम्न प्रकार के होंगे-

प्रथम भाग : विधि (कुल 110 अंक के 110 प्रश्न)

विषय	कुल प्रश्न	अंक
1. भारतीय संविधान	10	10
2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908	15	15
3. सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882	07	07
4. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872	08	08
5. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963	06	06
6. परिसीमा अधिनियम, 1963	04	04
7. म०प्र० स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961	05	05
8. म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959	05	05
9. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872	15	15
10. भारतीय दण्ड संहिता, 1860	15	15
11. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973	15	15
12. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881	05	05

13. सामान्य ज्ञान	20	20
14. कम्प्यूटर ज्ञान	10	10
15. अंग्रेजी ज्ञान	10	10

नोट : इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं रहेगा।

मुख्य लिखित परीक्षा

मुख्य परीक्षा में कुल 4 प्रश्न-पत्र होंगे, प्रत्येक प्रश्न-पत्र 100 अंक का होगा तथा प्रत्येक प्रश्न-पत्र की समय अवधि 3 घण्टे होगी।

विधि प्रश्न-पत्र I : (100 अंक)

- I. भारतीय संविधान
- II. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
- III. सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
- IV. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
- V. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963
- VI. परिसीमा अधिनियम, 1963

विधि प्रश्न-पत्र II : (100 अंक)

- I. लेख सामाजिक विषय पर - 30 अंक
- II. लेख विधिक विषय पर - 20 अंक
- III. संक्षिप्तकरण लेख - 20 अंक
- IV. हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद - 15 अंक
- V. अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद - 15 अंक

विधि प्रश्न-पत्र III : (100 अंक)

- I. म०प्र० स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961
- II. म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959
- III. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
- IV. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
- V. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
- VI. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (धारा 138 से धारा 147 तक)

विधि प्रश्न-पत्र IV : (100 अंक)

- I. विवाद्यकों का स्थिरीकरण - 10 अंक
- II. आरोपों की विरचना - 10 अंक
- III. निर्णय/आदेश (सिविल) लेखन (CJ-II) - 40 अंक
- IV. निर्णय/आदेश (दाण्डिक) लेखन (JMFC) - 40 अंक

साक्षात्कार

साक्षात्कार 50 अंक का होगा। साक्षात्कार में अभ्यर्थी की शैक्षणिक ज्ञान, वार्तालाप कौशल तथा कोर्ट में विभिन्न स्थितियों को संभालने की उसकी रणनीति तथा क्षमता का परीक्षण किया जाएगा।

“छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता,
टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।”

अटल बिहारी वाजपेयी

